

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण**आदेश**

दिल्ली, 22 मार्च, 2011

सं. फा.10 (1681)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./9971.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इन्फोर्मेशन टीवी प्रा. लि., 275, पिक्काडिली हाऊस, पहली मंजिल, कैप्टन गौर मार्ग, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली-110065, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 50,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 8,00,00,001 से 9,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5,00,000 (रुपये पाँच लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY**ORDERS**

Delhi, the 22nd March, 2011

F.No. 10(1681)/COS(HQ)/Cons.Duty/9971.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Information TV Pvt. Ltd., 275, Piccadilly House, First Floor, Captain Gaur Marg, Srinivaspuri, New Delhi-110065, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 5,00,000 (Rs. Five Lac) only on the aggregate value of shares of ₹. 50,00,00,000 for issue of Equity Shares bearing distinctive Nos. 8,00,00,001 to 9,00,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1715)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./9993.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री साईधाम ओवरसीज प्रा. लि., 108, पहली मंजिल, ट्रान्सपोर्ट सेन्टर, रोहतक रोड, नई दिल्ली-110035 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 15,20,00,000 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या पी 1 से पी 1,52,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,52,000 (रुपये एक लाख बावन हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No. 10(1715)/COS(HQ)/Cons.Duty/9993.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India,

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Saidham Overseas Pvt. Ltd., 108, First Floor, Transport Centre, Rohtak Road, New Delhi-110035, shall pay a consolidated stamp duty of ₹. 1,52,000 (Rs. One Lakh Fifty Two Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 15,20,00,000 for preference share certificates with distinctive No. P 1 to P 1,52,00,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 23 मार्च, 2011

सं. फा.10 (1634)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./10041.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दिल्ली सेलेक्ट सर्विस होस्पिटैलिटी प्रा. लि., 1/1, ईस्ट पटेल नगर, नियर मेट्रो स्टेशन, मेन रोड, नई दिल्ली-110008 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 40,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 40,000 (रुपये चालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 23rd March, 2011

F.No. 10(1634)/COS(HQ)/Cons.Duty/10041.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148'(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Delhi Select Service Hospitality Pvt. Ltd., 1/1 East Patel Nagar, Near Metro Station, Main Road, New Delhi-110008, shall pay a consolidated stamp duty of ₹. 40,000 (Rs. Forty Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 4,00,00,000 for issue of Equity Shares bearing distinctive Nos. 1 to 40,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1717)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./10043.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इन्नोवेटिव क्लाड सोल्युशंस प्रा. लि., एच-2, सुनेजा चेम्बर्स, अलकनंदा कमर्शियल काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,70,60,001 से 3,15,60,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 45,000 (रुपये पैंतालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1717)/COS(HQ)/Cons. Duty/10043.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Innovative Clad Solutions Private Limited, H-2, Suneja Chambers, Alaknanda Commercial Complex, New Delhi-110019, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 45,000 (Rs. Forty Five Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 4,50,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 2,70,60,001 to 3,15,60,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1725)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./10044.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ट्रोडट मार्किंग इण्डिया प्रा. लि., 205, जैन भवन, 18/12, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-110055, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 17,82,970 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 13,13,562 से 14,91,858 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,783 (रुपये एक हजार सात सौ तिरासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1725)/COS(HQ)/Cons. Duty/10044.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Trodat Marking India Pvt. Ltd., 205, Jain Bhawan, 18/12, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi-110055, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,783 (Rs. One Thousand Seven Hundred Eighty Three) only on the aggregate value of shares of ₹ 17,82,970 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 13,13,562 to 14,91,858 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1712)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./10045.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री विन ब्लू वाटर सर्विसिज प्रा. लि., 1102, इरोज कॉरपोरेट टावर्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,18,08,720 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 8,53,480 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 11,809 (रुपये ग्यारह हजार आठ सौ नौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1712)/COS(HQ)/Cons. Duty/10045.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Win Blue Water Services Private Limited, 1102, Eros Corporate Towers, Nehru Place, New Delhi-110019, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 11,809 (Rs. Eleven Thousand Eight Hundred Nine) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,18,08,720 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 8,53,480 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1283)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./10046.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एडीएमए सोल्युशंस प्रा. लि., 25 बी, कर्मशियल कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, पश्चिमी मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 60,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50,00,001 से 1,10,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 6,000 (रुपये छः हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1283)/COS(HQ)/Cons. Duty/10046.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. ADMA Solutions Pvt. Ltd., 25 B, Commercial Complex, 1st floor, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 6,000 (Rs. Six Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 60,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 50,00,001 to 1,10,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1720)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./10047.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एल' ओक्सिस्टेन इण्डिया प्रा. लि., एस-327, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,49,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 3,59,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 34,900 (रुपये चौतीस हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1720)/COS(HQ)/Cons. Duty/10047.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. L'Occitane India Pvt. Ltd., S-327, Greater Kailash-II, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 34,900 (Rs. Thirty Four Thousand Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 3,49,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 3,59,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1713)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./10048.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जास्पर इन्फोटेक प्रा. लि., 76, ओखला इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, फेज-III, दुसरी मंजिल, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 7,71,843 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 20,568 से 20,572 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 78 (रुपये अठत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1713)/COS(HQ)/Cons. Duty/10048.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jasper Infotech Private Limited, 76, Okhla Industrial Estate, Phase-III, 2nd Floor, New Delhi-110020, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 78 (Rs. Seventy Eight) only on the aggregate value of shares of ₹ 7,71,85 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 20,568 to 20,572 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1724)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./10049.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री महा इण्डिया ऑटोमोटिव टेस्टिंग इक्विपमेन्ट प्रा. लि., 205, जैन भवन, 18/12, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-110055, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,49,680 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 10,04,968 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 10,050 (रुपये दस हजार पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1724)/COS(HQ)/Cons. Duty/10049.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Maha India Automotive Testing Equipment Pvt. Ltd., 205, Jain Bhawan, 18/12, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi-110055, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 10,050 (Rs. Ten Thousand Fifty) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,49,680 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 001 to 10,04,968 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1706)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./10052.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एएमबी टैलेन्ट मीडिया प्रा. लि., सी-16, दुसरी मंजिल, गीतांजली एन्कलेव, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 9,01,70,043 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 8,49,168 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 90,172 (रुपये नब्बे हजार एक सौ बहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1706)/COS(HQ)/Cons. Duty/10052.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. AMB Talent Media Pvt. Ltd., C-16, Second Floor, Geetanjali Enclave, New Delhi-110017, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 90,172 (Rs. Ninety Thousand One Hundred Seventy Two) only on the aggregate value of shares of ₹ 9,01,70,043 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 8,49,168 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1714)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./10056.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जास्पर इन्फोटेक प्रा. लि., 76, ओखला इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, फेज-III, दुसरी मंजिल, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 34,49,21,199 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या पी 18,318 से पी 40,661 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 3,44,922 (रुपये तीन लाख चत्वारसीस हजार नौ सौ बाइस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1714)/COS(HQ)/Cons. Duty/10056.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jasper Infotech Private Limited, 76, Okhla Industrial Estate, Phase-III, 2nd Floor, New Delhi-110020, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 3,44,922 (Rs. Three Lac Forty Four Thousand Nine Hundred Twenty Two) only on the aggregate value of shares of ₹ 34,49,21,199 for preference Share certificates with distinctive Nos. P 18318 to P 40661 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1666)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./10061.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आर एण्ड एम कन्सल्टेन्सी सर्विसिज प्रा. लि., 297 ए, ककरोला हाऊसिंग कॉम्प्लैक्स, ककरोला मोड़, नई दिल्ली-110059, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,70,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 1700 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 170 (रुपये एक सौ सत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1666)/COS(HQ)/Cons.Duty/10061.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. R & M Consultancy Services Pvt. Ltd., 297 A, Kakrola Housing Complex, Kakrola More, New Delhi-110059, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 170 (Rs. One Hundred Seventy) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,70,000 for issue of Equity Share bearing distinctive Nos. 01 to 1700 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1709)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./10062.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री स्टेन टेक इण्डिया प्रा. लि., सी-20, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-II, नई दिल्ली-110049 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 20,00,000 है, पर

लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 20,000 (रुपये बीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1709)/COS(HQ)/Cons.Duty/10062.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Stan Tech India Private Limited, C-20, South Extension, Part-II, New Delhi-110049, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 20,000 (Rs. Twenty Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 2,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 20,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1719)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./10063—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एल'ओक्सिस्टेन इण्डिया प्रा. लि., एस-327, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3,59,001 से 6,59,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 30,000 (रुपये तीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F. No. 10(1719)/COS(HQ)/Cons.Duty/10063.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. L'Occitane India Pvt. Ltd., S-327, Greater Kailash-II, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 30,000 (Rs. Thirty Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 3,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 3,59,001 to 6,59,000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,

R. K. MISRA, Special Inspector General
(Registration)

1062 DG/11-2